



परिवहन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019–20



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004

प्राक्कथन

परिवहन किसी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की गतिशील रणनीति तैयार करने के लिये राज्य में मौजूदा आधारभूत परिवहन परिदृश्य को समझना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने से यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। वर्तमान परिवेश में सड़क नेटवर्क का विकास हमेशा राज्य सरकार का एक ध्यानाकर्षण क्षेत्र रहा है। यहां पर रेल एवं जल सम्पर्क मार्ग नगण्य हैं तथा राज्य के अधिकांश क्षेत्र सड़क मार्गों से ही जुड़े हुए हैं। इस परिवेश में सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

सामाजिक कल्याण के लिये प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। नई सड़कों का निर्माण होने के कारण लोगों द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रदेश में यात्री परिवहन को सुदृढ़ करने के लिये विभाग प्रयासरत है। इसी प्रयास में विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में यात्री वाहन परमिट जारी किये जा रहे हैं।

यात्री परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु विभाग द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बस रूट परमिट जारी किये जा रहे हैं जिससे सड़कों से जुड़े गांव, कस्बों में परिवहन सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ जनता को अपनी नगदी फसलों एवं रोजमर्रा की चीजों को बाजार तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

परिवहन क्षेत्र में यात्री एवं माल-परिवहन के संचालन नियन्त्रण एवं विकास के लिये परिवहन विभाग क्रियाशील है और इस कार्य को राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं बारह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के सहयोग से निष्पादन किया जा रहा है। गत वर्ष में विभाग की कार्य निष्पादन प्रणाली के सरलीकरण एवं विकेन्द्रीयकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस शृंखला में वाहन कर दाताओं की सुविधा के लिये ऑनलाईन कर अदायगी प्रणाली विकसित की गई है। प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत, कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टर के लिये कर छूट, ट्रेड सर्टीफिकेट जारी एवं अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने की शक्तियों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के स्तर पर विकेन्द्रित किया गया है ताकि इन कार्यों के निष्पादन में कुशलता आ सके।

बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये निजी वाहनों का पंजीकरण डीलर स्तर पर किया जा रहा है इसके अतिरिक्त लाईसैन्स, वाहन पंजीकरण, परमिट प्रदान करने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है। आगामी वर्ष में भी विभाग अपनी सभी सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत माध्यम से देने के प्रति कृत संकल्प है।

निदेशक परिवहन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-4.

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019-20

हिमाचल प्रदेश सरकार

विभाग का नाम : परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

1.	विभाग के मन्त्री	श्री गोविंद सिंह ठाकुर	01-04-2019 से 31-03-2020
2.	विभाग के सचिव	श्री जगदीश चन्द शर्मा, भा0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020
3.	विभाग के प्रमुख	कै0 जे0 एम0 पठानिया, भा0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य जानकारी	1
2.	विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा	2-8
3.	वार्षिक कार्यवाही योजना, मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें तथा उपलब्धियां	9-11
4.	परिवहन प्राधिकरण	11-18
5.	राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण	18
6.	परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली	19
7.	विभाग के आंकड़े	19-26
8.	बस अड्डों का निर्माण	26
9.	परिवहन नगर	26
10.	वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों तथा आम आदमी हेतु सुविधाएं	26
11.	जल परिवहन	26-27
12.	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	27-28

1. सामान्य जानकारी

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश देश का मुकुट है जो हिमालय की गोद में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड, दक्षिण में हरियाणा तथा पश्चिम में पंजाब स्थित है।

वैसे तो सड़क परिवहन पूरे देश में ही यातायात का प्रमुख साधन है परन्तु हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां पर रेल व जल परिवहन केवल नाम मात्र ही है। ऐसे में सड़क यातायात का महत्व और भी बढ़ जाता है। सड़क परिवहन का प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का गठन 1949 में हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश एक केन्द्र शासित प्रदेश था। 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् प्रदेश में नये परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ। 2 अक्टूबर, 1974 को हिमाचल राज्य परिवहन (एच0जी0टी0) से इसका पुनर्गठन करके परिवहन विभाग का स्वरूप दिया गया तथा आयुक्त परिवहन की भी नियुक्ति की गई। 13 जनवरी, 1975 को परिवहन विभाग तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों का विलय किया गया व आयुक्त परिवहन को इस विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

प्रदेश में सड़क परिवहन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है जिसका सहज आभास इस आधार पर हो सकता है कि 1990-91 में प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 67103 थी, जो अब बढ़कर 16,09,654 हो गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग की राजस्व प्राप्तियां रु0 408.01 करोड़ हो गई है। प्रदेश में 12 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यरत हैं। वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने के लिए 3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) के कार्यालय शिमला, कुल्लू तथा धर्मशाला में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 12 परिवहन बैरियर स्थापित हैं। इन बैरियरों की स्थापना के फलस्वरूप प्रदेश में काफी हद तक वाहनों के अवैध प्रचलन पर रोक लगी है और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है। विभाग प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग अपने कर्तव्यों का निष्पादन निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत करता है :-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989
3. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972
4. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1974
5. हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999

2. विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा :

2.1. निदेशालय :

निदेशक परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय में अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थित है। इसके अतिरिक्त विभाग का कार्य सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) एवं सहायक नियन्त्रक, (वित्त एवं लेखा) पदस्थ हैं।

2.2 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय :

परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने की दृष्टि से प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपने-अपने जिले में कार्यों का निष्पादन करते हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले राजस्व जिले
1.	शिमला	शिमला
2.	सोलन	सोलन
3.	मण्डी	मण्डी
4.	हमीरपुर	हमीरपुर
5.	कुल्लू	कुल्लू व लाहौल एवं स्पिति
6.	धर्मशाला	कांगड़ा
7.	बिलासपुर	बिलासपुर
8.	चम्बा	चम्बा
9.	ऊना	ऊना
10.	नाहन	सिरमौर
11.	रामपुर	किन्नौर व शिमला, कुल्लू व मण्डी के कुछ क्षेत्र
12.	बद्दी स्थित नालागढ़	सोलन के नालागढ़, बरोटीवाला क्षेत्र

2.3 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण :

वाहनों की बढ़ती संख्या एवं जनता की सुविधा की दृष्टिगत टैक्सियों, अन्य पर्यटन वाहनों तथा यात्री ऑटो रिक्शा के पंजीकरण को छोड़ कर बाकि सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण के लिए उप-मण्डलीय

अधिकारी को पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	जिला शिमला (08)	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिमला (शहरी) 2. शिमला (ग्रामीण) 3. रामपुर 4. रोहडू 5. ठियोग 6. चौपाल 7. डोडरा-क्वार 8. कुमारसैन
2.	जिला किन्नौर (03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. पूह 2. कल्पा 3. निचार स्थित भावानगर
3.	जिला सोलन (05)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सोलन 2. परवाणू 3. नालागढ़ 4. कण्डाघाट 5. अर्की
4.	जिला सिरमौर (06)	<ol style="list-style-type: none"> 1. नाहन 2. पांवटा साहिब 3. राजगढ़ 4. संगड़ाह 5. शिलाई 6. पच्छाद
5.	जिला ऊना (05)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऊना 2. अम्ब 3. बंगाणा 4. हरोली 5. गगरेट
6.	जिला हमीरपुर (05)	<ol style="list-style-type: none"> 1. हमीरपुर 2. बड़सर 3. नदौन 4. भोरंज 5. सुजानपुर
7.	जिला मण्डी (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. मण्डी (सदर) 2. करसोग 3. सरकाघाट 4. जोगिन्द्रनगर 5. गोहर

		6. सुन्दरनगर 7. पधर 8. धर्मपुर 9. बल्ह 10. थूनाग
8.	जिला कुल्लू (04)	1. कुल्लू 2. आनी 3. बन्जार 4. मनाली
9.	जिला कांगड़ा (14)	1. कांगड़ा 2. देहरा-गोपीपुर 3. पालमपुर 4. नूरपुर 5. धर्मशाला 6. ज्वाली 7. बैजनाथ 8. जयसिंहपुर 9. ज्वालाजी 10. फतेहपुर 11. शाहपुर 12. इंदौरा 13. नगरोटा बगवां 14. धीरा
10.	जिला बिलासपुर (04)	1. बिलासपुर 2. घुमारवीं 3. झण्डुता 4. श्री नैनादेवी जी
11.	जिला लाहौल एवं स्पिति (03)	1. काज़ा 2. केलांग 3. उदयपुर
12.	जिला चम्बा (07)	1. डलहौजी 2. चम्बा 3. भरमौर 4. पांगी 5. चुवाड़ी (भटियात) 6. सलूनी 7. चुराह (तीसा)

2.4 वर्ष 2019-20 में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

क्र०सं०	पद नाम	भरे हुए पदों की सं०	रिक्त पदों की सं०	कुल पद
1.	निदेशक परिवहन, हि०प्र०से०	1	0	1
2.	अतिरिक्त आयुक्त परिवहन एवं सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हि०प्र०से०।	1	0	1
3.	अतिरिक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, हि०प्र०से०।	1	0	1
4.	उप पुलिस अधीक्षक (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	1	0	1
5.	कार्यकारी अभियन्ता (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	0	1	1
6.	उप निदेशक, शिक्षा (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	0	1	1
7.	उप निदेशक, स्वास्थ्य (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	0	1	1
8.	उप निदेशक, परिवहन (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	0	1	1
9.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हि०प्र०से०/विभागीय	11	3	14
10.	सहायक नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा	1	0	1
11.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	0	1
12.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	7	5	12
13.	सहायक आयुक्त, तकनीकी	1	0	1
14.	अनुभाग अधिकारी, एस०ए०एस०	2	1	3
15.	अधीक्षक ग्रेड-II	15	0	15
16.	वरिष्ठ सहायक	28	22	50
17.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	1
18.	वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक/मोटर वाहन निरीक्षक	11	6	17
19.	वरिष्ठ आशुलिपिक	0	1	1
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	0	1	1
21.	आशु टंकक	6	1	7
22.	कनिष्ठ ऑडिटर	0	2	2
23.	यातायात निरीक्षक	5	7	12
24.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	32	07	39
25.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	17	21	38
26.	चालक	17	0	17
27.	दफ्तरी	1	0	1
28.	सेवादार स्थाई	15	0	15
29.	सेवादार दैनिक वेतन भोगी	13	0	13
30.	चौकीदार	5	0	5
31.	जमादार सफाई कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी	3	0	3

32.	आरक्षी	2	4	6
33.	रात्रि चौकीदार (ऑउटसोर्स आधार पर भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के माध्यम से)।	37	0	37
34.	वाचमैन (ऑउटसोर्स आधार पर भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के माध्यम से)।	18	0	18
35.	प्रोग्रामर (आऊटसोर्स आधार पर)(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	1	0	1
36.	कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा आऊटसोर्स आधार पर (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)।	2	0	2
37.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (आऊटसोर्स आधार पर) (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)।	4	0	4
38.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)।	0	4	4
39.	सेवादार, दैनिक वेतन भोगी (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)	0	4	4
	कुल	260	93	353

2.5 वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-

1.	निदेशक परिवहन	कै0 जे0एम0 पठानिया, भा0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020
2.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन, हिमाचल प्रदेश।	श्री सुनील शर्मा, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020
3.	संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) शिमला, हि0प्र0।	श्री हैमिस नेगी, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	1. श्री भूपेन्द्र कुमार अत्री, हि0प्र0से0 2. श्री दिलेराम धीमान, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 01-10-2019 04-10-2019 से 31-03-2020
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	1. श्री संजय धीमान, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 2. श्री संतराम, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 3. डा0 विशाल शर्मा, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 03-06-2019 03-06-2019 से 07-06-2019 07-06-2019 से 31-03-2020

6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	1. श्री कृष्ण चन्द, हि0प्र0से0 । 2. श्री संतराम, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 08-07-2019 08-07-2019 से 31-03-2020
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू	1. श्री भूवन शर्मा, हि0प्र0से0 2. श्री कृष्ण चन्द, हि0प्र0से0 3. श्री सुरेन्द्र पाल जसवाल, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 4. श्री अमित गुलेरिया, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 06-07-2019 20-07-2019 से 26-08-2019 04-09-2019 से 14-10-2019 15-10-2019 से 31-03-2020
8.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन	1. श्री सुरेश कुमार सिंघा (हि0प्र0से0) 2. श्री विवेक चौहान, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 3. श्री सुरेश कुमार सिंघा, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 24-07-2019 25-07-2019 से 30-11-2019 01-12-2019 से 31-03-2020
9.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	1. श्री सिद्धार्थ आचार्य, हि0प्र0से0 2. श्री शिव कृष्ण पराशर, हि0प्र0से0 3. श्री रमेश चन्द राणा, अधीक्षक ग्रेड-1 (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 11-07-2019 18-07-2019 से 24-02-2020 24-02-2020 से 31-03-2020
10.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) धर्मशाला ।	श्री संजय कुमार धीमान, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020

11.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) कुल्लू।	1. श्री कमल जीत शर्मा, विभागीय 2. श्री अमित कुमार गुलेरिया, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 31-12-2019 01-01-2020 से 31-03-2020
12.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	श्री वीरेन्द्र शर्मा, हि0प्र0से0	01-04-2019 से 31-03-2020
13.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा	श्री ओंकार सिंह बोधपाल, विभागीय	01-04-2019 से 31-03-2020
14.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन	1. श्री सुनील शर्मा, विभागीय 2. श्रीमति सोना चौहान, ए0आर0 टी0ओ0 (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 30-06-2019 01-07-2019 से 31-03-2020
15.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना	श्री एम0एल0 धीमान विभागीय	01-04-2019 से 31-03-2020
16.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी स्थित नालागढ़	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अधीक्षक-2 (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 31-03-2020
17.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रामपुर बुशहर	श्री तुला राम, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 31-03-2020
18.	सहायक आयुक्त, तकनीकी	श्री केसर चन्द, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2019 से 31-03-2020
19.	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1. श्री पवन कुमार थलियारी (एस0ए0एस0) 2. श्री हरि ओम शर्मा, एस0ए0एस (अतिरिक्त कार्यभार) 3. श्री देसराज शर्मा, एस0ए0एस0	01-04-2019 से 30-07-2019 31-07-2019 से 09-03-2020 09-03-2020 से 31-03-2020

3. वार्षिक कार्यवाही योजना एवं मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें, उपलब्धियां इत्यादि का विवरण :-

- विभाग ने इस वर्ष परिवहन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन क्षेत्रों में 398 नए पथ प्रमाण-पत्र जारी किये। इस प्रकार एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में आम जनता को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है।
- पिछले वर्ष के वास्तविक राजस्व प्राप्ति 408.01 करोड़ की तुलना में प्रतिवेदन वर्ष में विभाग ने संशोधित रुपये 465.52 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.09 प्रतिशत अधिक है।
- प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने हेतु विभाग ने प्रदेश में प्रवेश द्वारों पर परवाणू, पावंटा साहिब, स्वारघाट, टिपरा, डमटाल, कण्डवाल, मैहतपुर, गगरेट, कालाअम्ब, बददी, बरोटीवाला व तुन्नुहट्टी में परिवहन बैरियर कार्यरत हैं। जिससे एक ओर वाहनों का अवैध प्रचलन काफी हद तक रुका है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में मु0 42.83 करोड़ रु0 की आय हुई है।
- परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम/नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिवेदन वर्ष में 37999 चालान किए गए जिन से 5.85 करोड़ समझौता राशि के रूप में एकत्र किये गए।
- विभाग द्वारा परिवहन क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के परमिट जारी कर स्वरोजगार सृजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में 25,215 लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में स्वरोजगार प्रदान किया गया है।
- विभाग यात्रियों को सुरक्षित, आरामदेह एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को बसों की खरीद एवं उनके उचित रख-रखाव के लिए 62.00 करोड़ रुपये की धनराशि पूंजीनिवेश के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा परिवहन क्षेत्र में सरकार की ओर से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिवेदन वर्ष मु0 160.00 करोड़ रु0 की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध करवाई गई है।
- परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2019-20 में निगम को गैर योजना में 169.70 करोड़ रु0 की राशि अनुदान (वेतन) के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।
- प्रदेश में उप-मण्डल एवं खण्ड स्तर सहित आधुनिक बस अड्डों के निर्माण के लिये वर्ष के दौरान 4.03 करोड़ की राशि बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में बस अड्डों के निर्माण के लिये 1.44 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों हमीरपुर व ऊना के निर्माण के लिये 2.00 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं।

- परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में वाहनों की चैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप विभाग ने मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले 1256 वाहनों से जुर्माना स्वरूप मु0 13.71 लाख का राजस्व प्राप्त किया ।
- प्रदेश के वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत करने के लिये शक्तियां क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्रदान की गई ।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम की तारादेवी, सोलन, कुल्लू, नाहन, बिलासपुर तथा मण्डी कार्यशालाओं को वाणिज्यिक वाहनों की पासिंग के लिए अधिकृत किया गया है ।
- कृषि के लिए ट्रैक्टर पंजीकरण एवं कर छूट देने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया गया है ।
- सड़क सुरक्षा के लिए विभाग को 817.87 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है ।
- विभाग में कार्य कुशलता के लिए अधिकारियों को प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।
- अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ।
- माल भार यान के राष्ट्रीय परमिट व टैक्सी/मैक्सी परमिट स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ।
- प्रदेश में 75 विद्युत चलित बसों का प्रचलन हो रहा है ।
- विभाग द्वारा पंजाब राज्य व उत्तर प्रदेश राज्य के बीच अंतर्राज्यीय करार किया गया ।
- शिमला शहर में जन परिवहन का अन्य विकल्प के तौर पर रज्जूमार्ग के निर्माण व संभावनाएं तलाशने हेतु रज्जुमार्ग एवं त्वरित परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड (आर0टी0डी0सी0) का गठन किया गया है ।
- बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मध्यनजर विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

3.2 यात्री अनुग्रह योजना :

हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसके द्वारा बस दुर्घटनाओं में प्रभावितों एवं उनके आश्रितों तथा दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए यात्री अनुग्रह योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि राज्य की सीमा में हुई दुर्घटनाओं में दी जाती है । यात्री अनुग्रह राशि की दरें निम्न प्रकार से हैं :-

(क)	दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को	1,00,000 / -
(ख)	इसके अतिरिक्त दुर्घटना में घायल यात्रियों को उनकी अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है ।	अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर
	प्रतिवेदन वर्ष में कुल दी गई अनुग्रह राशि	रुपये 48.00 लाख

3.3 हिम-ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना

विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये एक नई योजना संचालित की गई है जिसे हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत नई निर्मित सड़कें जो मुख्यतः प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्य मंत्री पथ योजना या अन्य किसी योजना के अंतर्गत निर्मित की गई है पर 22 सीटों क्षमता वाले वाहन चलाने का प्रावधान है। बेरोजगार युवाओं/चालकों/परिचालकों की सहकारी संस्थाओं को इस योजना में नए रूट परमिट देने में प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु शत-प्रतिशत ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है तथा शहरों से जुड़ने वाली सड़कों में 20 प्रतिशत तक के राष्ट्रीय/राज्य मार्गों पर भी स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे मार्गों पर बस संचालन को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष पथकर में 85 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

4. परिवहन प्राधिकरण:

मोटर वाहन अधिनियम में राज्य सरकार को राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के गठन का अधिकार है जो सम्बन्धित प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते हैं जो शक्तियां इन प्राधिकरणों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय-5 के अधीन प्रदान किये गए हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत विभिन्न परिवहन मामलों का नियमन करने हेतु निम्न प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं :-

4.1.1 राज्य परिवहन प्राधिकरण :

राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों तथा नीतियों को समन्वित तथा नियमित करने, अन्तर्प्रादेशिक विवादों का निपटारा और परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों पर नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्राधिकरण पर्यटक वाहनों तथा समस्त भारत पर्यटक परमिट स्वीकृत करने का कार्य भी करता है। प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन 25-1-1971 के बाद किया जा रहा है। प्रतिवेदन वर्ष में राज्य परिवहन का गठन निम्न प्रकार से है :-

4.1.2 राज्य परिवहन प्राधिकरण का स्वरूप :

राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन प्रतिवेदन वर्ष में सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-ए(1)-3/2015 दिनांक 10-04-2018 के अनुसार इस प्रकार किया गया है :-

सरकारी सदस्य :

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. प्रधान सचिव/सचिव (परिवहन) | : | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश | : | सदस्य |
| 3. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण | : | सदस्य सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री पाल वर्मा, अधिवक्ता, निवासी गांव शलह, डाकघर लोहारा, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0।
2. श्री चमन पुडीर, निवासी गांव व डाकघर देहरियां, तहसील ज्वालाजी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
3. श्री हरपाल सिंह गिल, निवासी गांव व डाकघर रायपुर सदौना, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0
4. श्रीमति जिंदू देवी, निवासी गांव कन्याल, डाकघर छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0

4.1.3 राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य :

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत किया गया है जिसके सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य हैं तथा प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं :-

1. सम्पूर्ण भारत भ्रमण/प्रदेश के भीतर यात्री बसों/टैक्सियों तथा मैक्सी कैबों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमितों की स्वीकृति प्रदान करना।
2. पर्यटकों की सुविधा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हि0प्र0 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत भ्रमण तथा प्रदेश सीमा में यात्री बसों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमित की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।
3. मालभार वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमित जारी करना।
4. इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 के अधीन निकाले गए किन्ही निर्देशों को प्रभावी करेगा तथा ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित को छोड़कर राज्य में सर्वत्र उक्त अधिनियम में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा।
5. प्रदेश में राष्ट्रीय परमित भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (12) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमित स्कीम वर्ष 1976 में लागू की गई है। राष्ट्रीय परमित स्कीम से पहले क्षेत्रीय परमित स्कीम विद्यमान थी। वर्ष 1976 से 1986 तक राष्ट्रीय परमित कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये जाते थे किन्तु राष्ट्रीय परमित से भारत सरकार द्वारा 1-4-1986 से प्रतिबन्ध हटा दिया गया तथा सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का अब किसी भी सीमा तक परमित जारी करने का अधिकार है। प्रदेश में ऐसे परमितों की स्वीकृति में गतिशीलता लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा माल भार वाहन के नैशनल परमित स्वीकृत करने के लिये सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रधान सचिव (परिवहन) हि0 प्र0 सरकार जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा मोटर वाहन नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

4.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण :

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गठित किया गया है जोकि उस क्षेत्र में मोटर वाहनों के संचालन पर नियन्त्रण रखने का कार्य करता है। इन प्राधिकरणों का गठन निम्न प्रकार से है :-

4.2.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का जिलावार स्वरूप :-

सरकारी सदस्य :

1.	निदेशक परिवहन, शिमला, हिमाचल प्रदेश	:	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	:	सचिव
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन	:	सचिव
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर	:	सचिव
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रामपुर	:	सचिव
6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बद्दी स्थित नालागढ़	:	सचिव
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	:	सचिव
8.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा	:	सचिव
9.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना	:	सचिव
10.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	:	सचिव
11.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के लिए	:	सचिव
12.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	:	सचिव
13.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	:	सचिव

गैर-सरकारी सदस्य

: दो सदस्य (प्रत्येक प्राधिकरण)

4.2.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र :

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-ए(1)-3/2015 दिनांक 17-05-2018 के अनुसार इस प्रकार किया गया है:-

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कांगड़ा	जिला कांगड़ा
2.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, चम्बा	जिला चम्बा
3.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, ऊना	जिला ऊना
4.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
5.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर	जिला बिलासपुर
6.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, मण्डी	जिला मण्डी
7.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सोलन	जिला सोलन (नालागढ़, बद्दी व बरोटीवाला क्षेत्र के अतिरिक्त)
8.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सिरमौर	जिला सिरमौर
9.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कुल्लू	जिला कुल्लू व लाहौल-स्पीति

10.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, शिमला	जिला शिमला (रामपुर क्षेत्र के अतिरिक्त)
11.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, रामपुर बुशहर	जिला किन्नौर के कल्पा-पूह निचार क्षेत्र, जिला लाहौल स्पीति, काजा क्षेत्र, जिला शिमला के रामपुर, ननखड़ी, कुमारसैन क्षेत्र, जिला कुल्लू के आनी व निरमण्ड क्षेत्र व जिला मण्डी की उप-तहसील छतरी।
12.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बद्दी स्थित नालागढ़।	सोलन जिला के नालागढ़ बद्दी व बरोटीवाला क्षेत्र।

4.2.3 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य :

4.2.3.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) मण्डी :		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री भीमा राम ठाकुर, सुपुत्र श्री लेद राम, निवासी गांव भेक्षली, डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	सदस्य
2.	श्री मुकेश कुमार चंदेल, निवासी गांव संघन, डाकघर जुघान, तहसील सुंदरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0	सदस्य
4.2.3.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) कुल्लू और लाहौल स्पीति :		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री हुकम राम, निवासी गांव पुराना मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0	सदस्य
2.	श्री राज कुमार, सुपुत्र श्री अनंत राम, निवासी गांव मनहाम, डाकघर, बनोधी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.3.3 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री पवन शर्मा सुपुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी गांव कोहलवीं, डाकघर बरीं मंदिर, तहसील बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री पवन शर्मा, सुपुत्र स्व0 श्री मोती राम, निवासी गांव व डाकघर बैला, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.4 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) बिलासपुर:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0	सचिव

गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री राकेश ठाकुर सुपुत्र श्री नंद लाल, निवासी गांव जलपालखी, डाकघर कुठेड़ा तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	सदस्य
2.	श्री अनिल ठाकुर, अधिवक्ता सुपुत्र श्री प्रभु राम, निवासी नज़दीक अंबेदकर चौक, गांव, डाकघर व तहसील, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.5 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) कांगड़ा :		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1.	श्री विकास धीमान, प्रधान, ग्राम पंचायत नौरा, निवासी गांव व डाकघर नौरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	सदस्य
2.	श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री गुरबचन सिंह, निवासी गांव दुखी, डाकघर सियूल, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.3.6 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री सूरज सिंह सुपुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी, गांव जियादी, डाकघर पटका, तहसील सिहूता, जिला चम्बा, हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री विरेन्द्र ठाकुर सुपुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डाकघर बझाड़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.7 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री सुनील राणा सुपुत्र श्री मेघ सिंह, निवासी गांव व डाकघर लोअर कोटला, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री महेन्द्र मनकोटिया सुपुत्र श्री अजमेर सिंह मनकोटिया, निवासी गांव व डाकघर पंजावर, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.8 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) शिमला, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1.	श्री संजय शर्मा सुपुत्र श्री कृष्ण दत्त, निवासी 112/5, सब्जी मण्डी, शिमला, हि0 प्र0	सदस्य
2.	श्री अमर सिंह ठाकुर, निवासी गांव चमियाणा, डाकघर कमला नगर, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.9 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0	सचिव

गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री मदन मोहन मैहता सुपुत्र श्री हरिमोहन सिंह, निवासी गांव गदियां, डाकघर धर्मपुर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री प्रताप सिंह ठाकुर, निवासी सी0टी0सी0 भवन, वार्ड नं0 12, नज़दीक पुराना उपायुक्त कार्यालय, धोबीघाट कार्यालय, जिला सोलन, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.10 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री योगिन्द्र सिंह, निवासी गांव गुलालोगढ़, डाकघर, जमनीवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री शिव कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री बृज मोहन गुप्ता, निवासी गांव डाकघर नैनाटिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.11 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) बद्दी स्थित नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बद्दी स्थित नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री रिशभ शर्मा सुपुत्र श्री सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नं0-7, नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0।	सदस्य
2.	श्री आर0एल0 मोहिल सुपुत्र श्री कपूरा राम, मार्फत पम्मी कॉम्प्लैक्स, ऑपोजिट, फोर सिंजुन होटल, बद्दी, जिला सोलन, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.3.12 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0:		
सरकारी सदस्य :		
1.	निदेशक परिवहन, हि0 प्र0	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0	सचिव
गैर सरकारी सदस्य :		
1.	श्री जिया लाल जिहान सुपुत्र श्री कमा नन्द, गांव थेडा, डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।	सदस्य
2.	श्री यशवंत सिंह, निवासी गांव व डाकघर, कल्या, जिला किन्नौर, हि0प्र0	सदस्य

4.3.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य :

स्टेज कैरिज परमिट :

प्रदेश में स्टेज कैरिज रूट की पहचान के लिए जिला एवं उप-मण्डल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जिसका संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-

जिला स्तर पर:

- | | |
|---|---------|
| 1. सम्बन्धित जिला के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित जिला के क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित जिला के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य | सदस्य |
| 5. सम्बन्धित जिला के अध्यक्ष/प्रधान निजी बस ऑपरेटर संघ के सदस्य | सदस्य |

उप-मण्डल स्तर पर:

- | | |
|---|---------|
| 1. सम्बन्धित उप-मण्डल दण्डाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित पंचायत समिति के अध्यक्ष | सदस्य |
| 5. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य |
| 6. सम्बन्धित अध्यक्ष/प्रधान निजी बस ऑपरेटर संघ के सदस्य | सदस्य |

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 (सी0) के तहत स्टेज कैरिज के परमिट आबंटन से पूर्व इनका प्रकाशन अनिवार्य है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में निजी क्षेत्र तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में निम्न परमिट जारी किये हैं :-

बस का प्रकार	कुल जारी किये गये स्थाई परमिट
निजी क्षेत्र की बसें	60
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें	338
प्राईवेट सर्विस व्हीकल्ज़	954

4.3.2 माल भार वाहनों के परमिट :

प्रदेश में माल ढोने का कार्य मुख्यतः ट्रकों द्वारा ही किया जाता है जिनमें आलू, सेब तथा अन्य कृषि उत्पादों की समयबद्ध ढुलाई भी सम्मिलित है। अतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु गुड्रज कैरियर के लिए राज्य के परमिट जारी करना और राष्ट्रीय परमिटों को भी जारी किया जाता है। प्रतिवेदन वर्ष में जारी मालभार वाहन परमिटों का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

1. स्थाई परमिट	:	7034
2. राष्ट्रीय परमिट	:	3728

4.3.3 समय सारिणी :

प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए समय-समय पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता में संयुक्त समय सारिणी की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें निजी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का आने तथा जाने का समय निर्धारित किया जाता है जिसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति प्रदान करने उपरान्त लागू किया जाता है।

4.3.4 प्रतिहस्ताक्षर :

किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में तब तक वैध तथा मान्य नहीं होता जब तक कि वह उस क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो इसी प्रकार किसी एक राज्य का परमिट दूसरे राज्य में वैध नहीं होगा जब तक वह उस राज्य के राज्य प्राधिकरण या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो।

4.3.5 विशेष पथ कर :

वर्ष 2000 से पहले बसों का यात्री कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता था। सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-2000 से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चलने वाली बसों से विशेष पथकर एकत्रित किया जा रहा है। इस कर की उचित एवं पारदर्शी उगाही के लिये विभाग द्वारा ऑपरेटरों को ऑनलाईन अदायगी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसे ई-पथकर सॉफ्टवेयर से सीधा जोड़ा गया है। प्रतिवेदन वर्ष 1-4-2019 से 31-3-2020 तक विशेष पथकर की एकत्रित राशि मु0 37.63 करोड़ रु0 प्राप्त हुई है।

5. राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण :

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 (2) के अन्तर्गत एक सदस्यीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है जिसका अतिरिक्त कार्यभार सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया है। यह प्राधिकरण राज्य परिवहन तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से व्यधित होने पर की गई अपीलों की सुनवाई करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थित है।

6. परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली :

परिवहन विभाग सभी प्रकार के वाहनों के परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों का निर्वहन करना, हि0प्र0 के साथ लगते प्रदेशों के साथ अन्तर्राज्यीय स्टेज कैरिज, गुड्ज कैरिज सम्बन्धी पारस्परिक समझौते करना, यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत जो कि वर्ष 1977 से लागू है, अनुग्रह राशि का भुगतान करना, राज्य परिवहन उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूंजी निवेश करना, मोटर वाहन अधिनियम व नियम तथा हि0प्र0 मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा नियमों के अधीन समस्त करों की उगाही करना तथा नियमों की व्याख्या एवं कार्यान्वयन करना इत्यादि कार्य परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में शामिल है।

7. विभाग के आंकड़े :

7.1 विभागीय योजनाएं कार्य एवं आबंटित राशि :

परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है :-

मांग संख्या	लेखा शीर्ष	सहायता / उपदान	अनुदान / अंशदान
25	3055 / 190 / 01, गैर-योजना	1,60,00,00,000	अनुदान हेतु
	3055 / 190 / 01, गैर-योजना	1,69,70,00,000	सहायता / अनुदान (वेतन)
25	3055 / 190 / 01, गैर योजना	..	सहायता अनुदान (अवेतन)
	5055 / 050 / 01 योजना	10,53,00,000	बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 050 / 01 गैर योजना	5,00,00,000	बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 050 / 03 योजना	1,50,00,000	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण
	5055 / 050 / 07 गैर योजना	---	परिवहन नगर का विकास
	5055 / 190 / 02, योजना	65,04,19,000	हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूंजीगत परिव्यय निवेश
31	5055 / 796 / 01, योजना	5,58,00,000	टी0ए0एस0पी0 हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूंजीगत परिव्यय
	5055 / 796 / 02, योजना	1,43,72,000	
32	5055 / 789 / 01, योजना	15,82,35,500	एस0सी0एस0पी0 पूंजीगत परिव्यय
	5055 / 789 / 02, योजना	50,00,000	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का निर्माण
	5055 / 789 / 03, योजना	4,03,00,000	बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 789 / 05, योजना	---	परिवहन भवन का विकास

7.2 विभागीय व्यय :

विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई राशि का मद्दार विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क)	3055—सड़क परिवहन, योजना	---
	3055—सड़क परिवहन, गैर योजना	10,86,30,009
(ख)	2041—वाहनों पर कर योजना	---
	2041—वाहनों पर कर, गैर-योजना	12,05,93,384
(ग)	3056—जल परिवहन गैर-योजना	8,98,458
(घ)	2059—कार्यालय भवनों की मरम्मत	---
(ङ)	2235—यात्री अनुग्रह राशि	48,00,000

7.3 विभागीय प्राप्तियां :

0041—वाहनों पर कर :	4,65,51,72,761
101—भारतीय मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	1,16,58,08,381
102—राज्य मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	3,10,83,55,312
800—अन्य प्राप्तियां	38,10,09,068
1055—सड़क परिवहन :	64,16,659
01—हिमाचल पथ परिवहन निगम से प्रतिभूति शुल्क के रूप में	---
02— विविध प्राप्तियां	61,89,193
03—उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की कन्सेशन फीस से प्राप्तियां	2,27,466

7.4 वाणिज्यिक वाहनों का निरीक्षण :

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 38 के प्रावधानों के अनुसार सभी नए एवं पुराने परिवहन वाहनों के यन्त्रवत और सही प्रचलन हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 जो कि जुलाई, 1989 से लागू है, के अन्तर्गत नये वाहनों की पासिंग दो वर्ष के लिए की जाती है तथा 8 साल तक पुराने वाहनों की पासिंग भी दो वर्ष के लिए की जाती है जबकि 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पासिंग एक वर्ष के लिए ही की जाती है।

वर्ष 2019-20 में वाहनों के निरीक्षण का ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	कुल पास किए गये वाहन
7.4.1	विभाग द्वारा परीक्षण:	
1.	बड़े माल-वाहन; सभी प्रकार के	25038
2.	छोटे माल-वाहन; सभी प्रकार के	34190
3.	प्राइवेट सर्विस व्हीकल्ज़	1315
4.	स्टेज कैरिज बसें	3540
5.	शिक्षा संस्थानों की बसें	1937
6.	कान्ट्रैक्ट कैरिज :	
	(क) ओमनी बसें	908
	(ख) टैक्सियां	5505
	(ग) मैक्सी कैब्ज	5521
8.	एम्बुलैन्स	500
9.	अन्य वाहन जो उपरोक्त में नहीं दर्शाए गए हैं	1660
	कुल वाहन	80114
7.4.2	ए०टी०एस० अधिकृत परीक्षण केन्द्र परीक्षण :	
1.	अधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा परीक्षण	33320
	कुल परीक्षण	113434

7.5 चालक लाईसैन्स टैस्ट :

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक लिए गए सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि० प्र० व सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि० प्र० कथित बोर्ड द्वारा किये गए चालक लाईसैन्स टैस्ट का विवरण :

	गतिविधि	संख्या
	दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक लिए गये कुल टैस्ट	95400
	जितनों ने टैस्ट पास किया	67711
	जितने अनुत्तीर्ण हुए	27689
	अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाईसैन्स	246

टैक्सियों एवं अन्य पर्यटन वाहनों का पंजीकरण सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण व सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है।

7.6 नए वाहनों का पंजीकरण :

वर्ष 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के वाहनों का पंजीकरण का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाहन श्रेणी	पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या
1	2	3
1.	एम्बुलैन्स	167
2.	बसें	705
3.	क्रेन माउण्टिड व्हीकल	289
4.	कैम्पर वैन/ट्रेलर	02
5.	डम्पर	16
6.	अर्थ मूविंग इक्यूपमेंट	324
7.	कैम्पर वैन/ट्रेलर (प्राइवेट यूज़)	01
8.	फायर टैंडर्ज	07
9.	फायर फाइटिंग व्हीकलज़	09
10.	गुड्स कैरियर	10876
11.	हारवैस्टर	01
12.	अडॉप्टिड व्हीकलज़	04
13.	शिक्षण संस्थान बस	289
14.	कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट व्हीकल	664
15.	एक्सोवेटर (गैर परिवहन)	160
16.	मोटराइज्ड साइकल (सी0सी0>25 सी0सी0)	75
17.	मैक्सी कैब	792
18.	मोपेड	3327
19.	मोटर कैब	2882
20.	मोटर साइकल/स्कूटर	67913
21.	मोटर साइकल/स्कूटर विद साइड कार	74
22.	ओमनी बस	75
23.	ओमनी बस (प्राइवेट)	05
24.	पी0एस0वी0	112
25.	रिकवरी व्हीकल	15
26.	थ्री व्हीलर (गुड्स)	84

1	2	3
27.	श्री व्हीलर (पैसेन्जर)	253
28.	एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर	2241
29.	ई-रिक्शा प्राईवेट	108
30.	व्हीकल फिटिड विद रिगस	02
31.	मोटर कार	50711
32.	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	09
33.	पी0एस0वी0 (इंडीविजुअल)	543
34.	फॉरकलिफ्ट	01
35.	हियरज़	02
36.	लग्जरी कैब	01
37.	मोबाईल क्लीनिक	04
38.	मोबाईल कैंटीन	01
39.	मोबाईल वर्कशाप	01
40.	ट्रिमिंग व्हीकल	01
	कुल..	142746

7.7 मोटर वाहन अधिनियम/नियम के उल्लंघन रोकने हेतु उपाय :

इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप सैलानियों का आवागमन पूरे वर्ष चला रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रदेश में प्रवेश स्वाभाविक है। वाहनों की अधिक आवाजाही से मोटरयान अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन करने की घटनाएं भी अधिक बढ़ जाती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती है। चैकिंग के दौरान किए गए चालानों का उल्लंघन विवरण निम्न प्रकार से है :-

परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश

2019-20 के दौरान वाहनों का अपराध-आधारित एकीकरण

क्र० सं०	अपराध का नाम	चालान
1	2	3
1.	बिना अनुज्ञा पत्र	2974
2.	बिना उपयुक्तता	585
3.	अधिक लदान	1181
4.	प्रदूषण	2369

1	2	3
5.	बिना विशेष पथ कर/टोकन टैक्स	403
6.	प्रेशर हॉर्न	1339
7.	मोबाईल फोन	83
8.	बिना ड्राईविंग लाईसैंस/कण्डक्टर लाईसैंस	1155
9.	बिना पंजीकरण	966
10.	संगीत यन्त्र	970
11.	बिना वर्दी	2767
12.	स्टेज कैरिज के रूप में चल रही ठेका गाड़ियां	65
13.	किराए के रूप में चल रहे निजी वाहन	1361
14.	समय सारणी	22
15.	प्राथमिक उपचार पेट्री	1094
16.	अतिरिक्त लाइटें	1355
17.	बिना बीमा	617
18.	अधिक रफ्तार	87
19.	बिना यात्री सूची	1577
20.	बिना सीट बेल्ट/हेलमेट	252
21.	बिना एच0एस0आर0पी0/टिकट	138
22.	अन्य	16639
	कुल चालान	37999
	चालानों से प्राप्त राशि	5.85 करोड़

7.8 पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी उपाय:

परिवहन विभाग, प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निजी व सरकारी क्षेत्र में भी 104 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किये गए हैं। वाहन का प्रदूषण नियन्त्रण में है, का प्रमाण-पत्र तीन माह के लिए जारी किया जाता है।

जिन वाहनों का प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है उनके वाहन स्वामियों को वाहनों की मरम्मत करने के लिए कहा जाता है तथा दूसरी बार चैक करके यदि प्रदूषण नियन्त्रण में है तो प्रदूषण नियन्त्रण जांच का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 104 निजी व अर्ध सरकारी संस्थाओं को प्राधिकृत किया है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	जांच संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	शिमला	11
2.	सोलन	14
3.	मण्डी	11
4.	बिलासपुर	5
5.	कुल्लू	5
6.	हमीरपुर	7
7.	कांगड़ा	25
8.	ऊना	7
9.	चम्बा	7
10.	सिरमौर	6
11.	किन्नौर	1
12.	लाहौल एवं स्पीति	0
	कुल..	104
	पथ परिवहन निगम	7
	निजी क्षेत्र में	97

7.9 चालक प्रशिक्षण स्कूल :

परिवहन विभाग द्वारा अच्छे प्रशिक्षित चालक उपलब्ध करवाने हेतु निजी व सरकारी क्षेत्र में 220 चालक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन)	भारी परिवहन वाहन	कुल
1.	शिमला	30	10	40
2.	सोलन	14	08	22
3.	कांगड़ा	32	12	44
4.	मण्डी	38	06	44
5.	कुल्लू	10	01	11
6.	बिलासपुर	12	06	18
7.	ऊना	06	03	09
8.	चम्बा	03	04	07
9.	सिरमौर	04	03	07
10.	किन्नौर	03	..	03
11.	हमीरपुर	12	03	15
12.	लाहौल एवं स्पीति
	कुल..	164	56	220

	श्रेणी	आई0टी0आई0	हिमाचल पथ परिवहन निगम	निजी क्षेत्र	कुल
	एल0एम0वी0 (एन0टी0पी0टी0	9	0	154	163
	एच0टी0वी0)	3	12	42	57
	कुल	12	12	196	220

8. बस अड्डों का निर्माण :

प्रदेश में बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 1-4-2000 को किया गया। अब बस अड्डों से सम्बन्धित सभी कार्य बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा ही किए जा रहे हैं।

बस अड्डों का निर्माण बसों के रात्रि ठहराव तथा बसों की आवाजाही पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से उप-मण्डल/खण्ड स्तर पर आधुनिक बस अड्डों का निर्माण करवा कर आने-जाने वाले बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रतिवेदन वर्ष में उप-मण्डल/खण्ड स्तर सहित आधुनिक बस अड्डों के निर्माण करने के लिए विभिन्न उप-योजना में रु0 4.03 करोड़ की राशि बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को जारी की गई। इसके अतिरिक्त जन-जातीय क्षेत्रों में बस अड्डों के लिए रु0 1.44 करोड़ की राशि जन-जातीय उप-योजना में स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करवाए गए हैं।

9. परिवहन नगर :

परिवहन नगर विकसित करना विभाग की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है क्योंकि प्रदेश में परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं जैसे वर्कशाप, स्पेयर पार्ट्स, प्रदूषण जांच केन्द्र सुनियोजित ढंग से विकसित नहीं हुए हैं जो सड़कों पर भीड़ का कारण है। इसी उद्देश्य से विभाग प्रदेश के मुख्य नगरों में सुनियोजित रूप से परिवहन नगर विकसित करना है।

विभाग प्रदेश में परिवहन नगर स्थापित करने जा रहा है जिसके लिए 16 करोड़ की राशि का प्रावधान कर दिया गया है।

10. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों तथा आम आदमी हेतु सुविधाएं :

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा विशेष श्रेणी के यात्रियों (Special Category Passengers) के लिये 50 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली सभी सरकारी व निजी बसों में बाईं ओर की 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर पीड़ितों व अक्षम व्यक्तियों को बसों में यात्रा करते समय असुविधा न हो।

11. जल परिवहन :

विभाग प्रदेश में जल परिवहन के दोहन हेतु प्रयत्नशील है। वर्तमान में प्रदेश में गोविंद सागर झील, कोल डैम व चमेरा डैम तीन मुख्य जलाशय हैं। जिसमें जल परिवहन के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन

क्षेत्रों में यात्री परिवहन एवं माल-भाड़े की संभावनाओं के विस्तार के लिए (आई0 मैरी टाईम कन्सलटैन्सी प्राइवेट लिमिटेड) को सलाहकार नियुक्त किया गया था जिससे इन जलाशयों की संभावनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। वर्तमान स्थिति अंकित इस रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त इन क्षेत्रों में जल परिवहन के विस्तार के लिए विस्तृत कार्य योजना अनुसार विकास प्रस्तावित है।

12. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ :

सड़क सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज यदि इस विषय में भारतवर्ष में दुर्घटना एवं मृत्यु के आंकड़ों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि प्रति मिनट में एक गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और एक घण्टे में लगभग सोलह मानव जानों को काल का ग्रास बनना पड़ता है। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी लगभग 12 आदमी प्रतिदिन दुर्घटना के शिकार होते हैं। आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करने के लिए कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं यद्यपि सड़क सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक नागरिक का बनता है फिर भी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर गंभीर रूप से प्रयासरत हैं।

सड़क सुरक्षा की गंभीरता को समझते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के नाम से काम कर रही है। यह समिति समय-समय पर सभी राज्यों द्वारा सड़क सुरक्षा पर उठाए गए कदमों की समीक्षा करती है तथा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करती है। आज तक प्रदेश को दिए गए दिशा-निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट जो माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की है उस से माननीय समिति संतुष्ट है लेकिन इस से सन्तुष्ट न होकर हमें प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर और अधिक संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार भी इस विषय में गंभीरता से कार्य कर रही है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियों का सम्बन्धित जिलाधीशों की अध्यक्षता में गठन किया गया है जो कि सड़क सुरक्षा सम्बन्धित गतिविधियों के लिए कार्य करती हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है जिसे राज्य में सड़क सुरक्षा जागरुकता सम्बन्धी क्रिया-कलापों में व्यय किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सरकार की गंभीरता इस बात से भी नज़र आती है कि हाल ही में माननीय परिवहन मंत्री जी ने समस्त जिलाधीशों जो कि जिला स्तर सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, को पत्र लिख कर समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम 4 बार करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि सड़क सुरक्षा पर सभी हितधारकों, नागरिकों एवं सम्बन्धित विभागों की अधिक से अधिक अर्थपूर्ण भागेदारी सुनिश्चित की जा सके।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत स्टील क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं जिसके लिए किए गए बजट प्रावधान से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक 43350 मीटर स्टील क्रैश बैरियर लगाए जा चुके

हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा पुलिस स्टेशन स्तर पर सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित किये गए हैं जो पुलिस और नागरिकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आगामी प्रयासों के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ करते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा व स्कूलों में सड़क सुरक्षा पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ(9)-3/2016-III दिनांक 16-07-2019 के अनुसार परिवहन विभाग में लीड एजैन्सी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें निदेशक परिवहन को इसका मुखिया बनाया गया है।